संoसंo–04/व01–54/2008

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषय :– **विघटित बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग एवं बिहार कॉलेज सेवा आयोग के कर्मियों के समायोजन के संबंध में।**

बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम 27, 1982) को बिहार अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2007, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग अधिनियम 1987 (बिहार अधिनियम 18,1987) को बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग (निरसन) अधिनियम 2007 एवं बिहार कॉलेज सेवा आयोग, अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 26, 1976) को बिहार कॉलेज सेवा आयोग (निरसन) अधिनियम 2007 द्वारा दिनांक 19.4.2007 के प्रभाव से निरसित होने के पश्चात इन कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के निरसन की तिथि से इसके कर्मचारी अपनी सेवा में बने रहेंगे जैसे कि अधिनियम का निरसन नहीं हुआ हो और उन्हें अधिनियम के निरसन की तिथि को देय वेतन एवं भत्ता का भुगतान तब तक किया जाता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार अंतिम निर्णय न ले ले।

2. इस क्रम में गठित समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को ध्यान रखते हुए, सेवा सामंजन की प्रक्रिया केवल उन कर्मियों के लिये किया जाना है, जिनकी नियुक्ति में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी हो :–

(क) नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी हो
(ख) नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो
(ग) नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया हो
(घ) धारित पद पर नियुक्ति की अर्हता पूर्ण करते हों
(ड.) नियुक्ति स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध की गयी हो।

3. उपर्युक्त श्रेणी में जो कर्मी नहीं आते हैं उनके मामले में सिविल अपील संख्या 1968/2006 कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.4.06 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करनेवाले कर्मियों का समायोजन किया जायः–

(क) नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा की गयी हो
(ख) नियुक्ति स्वीकृत एवं रिक्त पद के विरूद्ध की गयी हो। यदि नियुक्ति के समय स्वीकृत रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो निरसन की तिथि के पूर्व स्वीकृत रिक्त पद अवश्य उपलब्ध हो।
(ग) धारित पद पर नियुक्ति की अर्हता पूर्ण करते हों।
(घ) न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा पूरी करते हों।

4. यदि मृतक उपर्युक्त कंडिका–1 अथवा 2 में आच्छादित हों तो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रितों के समायोजन की कारवाई की जाय।

5. कंडिका–2 में अंकित श्रेणी में आनेवाले कर्मियों के मामले में समायोजन के अवसर पर आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा वरीयता को दृष्टिपथ में रखते हुए समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

6. विघटित आयोग/बोर्ड में अनियमित रूप से प्रोन्नत कर्मियों की नियुक्ति के मूल पद के आधार पर समायोजन की कार्रवाई की जायेगी यदि वे उपर्युक्त शर्तों (कंडिका–2 अथवा 3) का पालन करते हों।

7. विघटित बोर्ड/आयोग के बैध एवं नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृति का विकल्प दिया जायेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए विकल्प/सहमति प्राप्त होने पर निम्नलिखित लाभ देय होगाः–

(क) पांच वर्षों तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को चार माह का वेतन।
(ख) पांच से दस वर्षों तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को छः माह का वेतन।
(ग) दस वर्षों से अधिक वर्षों तक की सेवा अवशेष वाले कर्मियों को नौ माह का वेतन।

8. विघटित कर्मियों का जिस कार्यालय/संस्थान में समायोजन किया जायेगा उसी कार्यालय/संस्थान का सेवाशर्त समकक्ष कर्मियों पर लागू होगा।

9. विघटित आयोग/बोर्ड कर्मियों के बकाया वेतन–भत्ता का भुगतान समायोजित कार्यालय/संस्थान से होगा।

10. समायोजन की तिथि से संबंधित कर्मी को संबंधित कार्यालय/संस्थान में नियुक्त माना जायेगा तथा संबंधित कार्यालय/संस्थान के कर्मियों के लिए अनुमान्य सुविधाएँ उन्हें अनुमान्य होंगी।

11. समायोजित होनेवाले कर्मियों का न्यूनतर वेतनमान के पद पर समायोजन की स्थिति में वेतन संरक्षण का लाभ देय होगा।

12. कर्मियों की सेवा सरकारी कार्यालयों में वरीयता के आधार पर समायोजित की जायेगी। जिन कर्मियों की सेवा सरकारी कार्यालयों में समायोजित नहीं की जा सकेगी उनका किसी अन्य संस्थान में समायोजन रिक्ति के आलोक में की जायेगी।

13. विघटित संस्थान के किसी भी कर्मी के विरूद्ध निरसन की तिथि के पूर्व यदि कोई विभागीय कार्यवाही अथवा न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो तथा आरोपों का गठन कर दिया गया हो तो वैसी कार्यवाही समायोजन के पश्चात भी चलती रहेगी।

14. समायोजन के पश्चात् संबंधित कार्यालय/संस्थान द्वारा संबंधित कर्मियों के योग्यता प्रमाण पत्रों की जाँच कराने के पश्चात ही योगदान स्वीकार किया जायेगा एवं मानव संसाधन विकास विभाग समायोजित कर्मियों का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित कर संबंधित संस्थान/कार्यालय को उपलब्ध करायेगा।

15. समायोजन संबंधी आदेश निर्गत होने के एक माह के अन्दर संबंधित कर्मी को समायोजित स्थान पर अपना योगदान निश्चित रूप से दे देना होगा। जो कर्मी निर्धारित अवधि के भीतर योगदान नहीं देंगे उनकी सेवा उक्त कार्यालय/संस्थान द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

16. इस क्रम में प्राप्त त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा विधि विभाग के परामर्श के आलोक में तीनों विघटित आयोग/बोर्ड के 79 कर्मियों को निर्धारित शर्त्तों के अधीन सामंजित किया जाता है :–

1. समिति की अनुशंसा की कंडिका 2 एवं 3 में वर्णित प्रावधानों में कंडिका 2 से आच्छादित कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. दैनिक मजदूरी/अनुबंध/कार्यभारित (work charge) पर नियोजित कर्मियों को एक माह के पारिश्रमिक का भुगतान कर कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
3. समायोजित होनेवाले कर्मियों पर पुरानी पेंशन योजना प्रभावी होगी।
4. समायोजित होनेवाले कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना पेंशन एवं ए0सी0पी0 के प्रयोजनार्थ की जायेगी।
5. समायोजन मानव संसाधन विकास विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों पर किया जायेगा।

17. जब तक किसी कर्मी के सामंजन की कार्यवाही पूरी नहीं होती है तब तक वे यथा स्थित कार्यरत रहेगें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 100 सौ प्रति मानव संसाधन विकास विभाग को भेजा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रकाश चन्द्र सिंह)
विशेष सचिव